(4)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 101/2017

भूली बाई पत्नि रामगोपाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां
...वादनी

♠ बनाम ♠

1. गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां
2. धर्मेन्द्र पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां
3. योगेन्द्र पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री हरिओम यादव
दायरा दिनांक: 22.12.2017 निर्णय दिनांक : 10.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी कम 1 वादी कम का पति है तथा प्रतिवादी कम 2 व 3 का प्राकृतिक पिता है जो ग्राम कूण्डला में निवास करता है। प्रतिवादी कम 1 की वाके ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल में आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 6 रकबा 4.18 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.40 है0 व इसी प्रकार ग्राम कूश्या तहसील मांगरोल में आराजी खाता संख्या 86 खसरा नं0 152 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 286 रकबा 2.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 है0 स्थित है जो कुल आराजी 6.48 है0 जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। प्रतिवादी कम 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

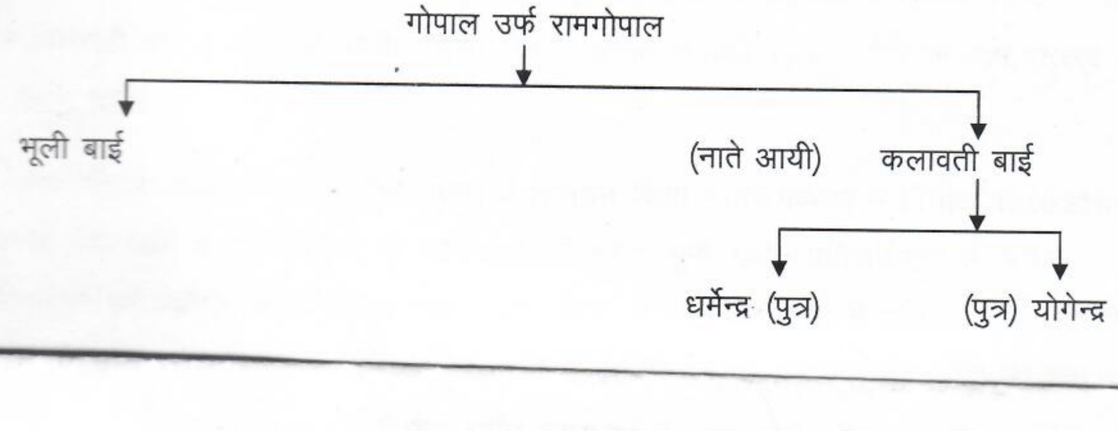

प्रतिवादी कम 1 ने अपनी जीवनकाल में हिन्दु विवाह रिती रिवाज से वादनी 1 से विवाह किया जब उसके कोई संतान नही होने से प्रतिवादी कम 1 ने अपने वंश को आगे बढाने से कलावती बाई से नाता विवाह किया है। तथा कलावती बाई से प्रतिवादी कम 2 व 3 का जन्म हुआ प्रतिवादी कम 1 की दोनो पत्नियों में किसी प्रकार का विवाद नही है। प्रतिवादी कम 1 के वर्तमान में दर्ज खाते उपरोक्त वर्णित आराजी जो प्रतिवादी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें वादनी का पैतृक हक अधिकार निहित है। इसलिए वादनी उपरोक्त भूमियों में हिस्सा 1/4 का हक रखती है। अतः उपरोक्त आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त कर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी हैं। अतः बहक वादनी व विरूद्ध कम 1 इस आशय की डिकी पारित की जावें कि ग्राम कूण्डला में आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 6 रकबा 4.18 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.40 है0 व इसी प्रकार ग्राम कूश्या तहसील मांगरोल में आराजी खाता संख्या 86 खसरा नं0 152 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 286 रकबा 2.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 है0 स्थित है जो कुल आराजी 6.48 है0 आराजी में वादनी को हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वादनी के हिस्से को पृथक से खाते दर्ज किया जाकर पृथक से लगान रास्ता कायम किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह वादनी की हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.12.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 द्वारा दिनांक 10.09.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र की समस्त मदो को स्वीकार किया है एवं निवेदन किया है कि वादिया के हक तक वाद डिकी किये जाने पर प्रतिवादी कम 1 को आपत्ति नही है एवं दिनांक 10.09.2018 को ही प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार विवादित आराजियात में प्रतिवादी कम 2 व 3 का पैतृक हिस्सा 1/4–1/4 निहित है जिस पर प्रतिवादी कम 2 व 3 राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाकर स्वयं को हिस्स 1/4–1/4 का खातेदार कृषक दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी व नालिसी है। तथा निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी का खातेदार हिस्सा 1/4 का वादिया व हिस्सा 1/4–1/4 का खातेदार प्रतिवादी कम 2 व 3 को घोषित यिका जाकर हिस्सा आराजी 1/4 प्रत्येक के नाम राजस्व खाते में दर्ज किया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.09.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रतिवादीगण के जवाब दावा व काउण्टर क्लमें को शामिल फायल किया गया। जवाब दावा व काउण्टर क्लेंम में प्रतिवादीगण द्वारा वादनी को उसके हक हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने में सहमति जाहिर की है। चूकि प्रतिवादी कम 1 की

[illegible] आराजी पैतृक है व विरासत से प्राप्त हुई है, अतः सुनी गयी बहस तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा व काउन्टर क्लेंम के आधार पर वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि जाने ग्राम कून्डला तहसील मांगरोल में आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 6 रकबा 4.18 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.40 है0 व इसी प्रकार ग्राम कूश्या तहसील मांगरोल में आराजी खाता संख्या 86 खसरा नं0 152 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 286 रकबा 2.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 है0 स्थित है जो कुल आराजी 6.48 है0 में वादनी भूली बाई पत्नि रामगोपाल को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक व प्रतिवादी कम 2 व 3 कमशः धर्मेन्द्र पुत्र रामगोपाल व योगेन्द्र पुत्र रामगोपाल को हिस्सा 1/4–1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजी में वादनी का हिस्सा 1/4 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादनी को शांती पूर्वक काश्त करने देवें। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया